

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज
14 ² / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष उपस्थित। महीवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्तर्गत धारा 10 एवं 15। जा. से. को स्वीकार किया जाता है। इसलिए वाद पत्र में कोई कार्यवाही की सम्पादन किया जाता व्यापकगत नहीं है। अतः पत्रावली दिनांक 13/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">14/09/25</p>
19 ² / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई/वकील उमय पक्ष एवं गवाह श्री..... को कक्षागत उपस्थित किया गया।</p> <p>अतः पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि. 24/9/25 को पेश हो।</p>
24 ² / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में प्रस्तुत किये गये प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 15। स्वीकार होने से पत्रावली में कार्यवाही स्थगित है। पत्रावली दिनांक 24.9.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">02/04/25</p>
24 ¹ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 15। स्वीकार होने से पत्रावली में कार्यवाही स्थगित किये जाने से पत्रावली को नियमित रूप से पेशी में प्रस्तुत इति नहीं है। वादप्रस्तुत धाराओं अन्तर्गत प्रकरण सिविल न्यायालय में अंतरकार है वहाँ से निर्णय होने में समय लगने से इस पत्रावली को अन्तिम रखी जाता इति नहीं है। इसलिए पत्रावली में कार्यवाही को स्थगित (शु) की जाती है। पत्रावली में निर्णय सुनाया गया। वादीयक अविदित पत्र पर पत्रावली को पुनः सुनवाई में लायी। वकील उमय पक्ष स्थगित रहे।</p> <p style="text-align: right;">24/09/25</p>

